न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम–4 जयपुर जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:: नीतू भारद्वाज, आर.जे.एस.

निगरानी याचिका संख्या 07 / 2026
एन.सी.वी नम्बर–07 / 2026
CNRRJJD010002032026
बालकिशन **बनाम** राजस्थान राज्य

———————

दिनांक:: 13–08–2026

1. निगरानीकर्ता / अभियुक्त के अधिवक्ता श्री मो. उमर फारूख व गैर निगरानीकर्ता की ओर से अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

2. निगरानीकर्ता / अभियुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर में लंबित फौजदारी प्रकरण संख्या 410 / 2019 (76 / 16) सरकार बनाम बालकिशन में दिनांक 15–11–2025 को पारित आदेश, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता / अभियुक्त के विरूद्ध धारा–498ए भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित किए जाने के आदेश दिए जाकर उक्त अपराध में आरोप विरचित किए गए है, को चुनौती देते हुए यह निगरानी याचिका श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

3. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. निगरानीकर्ता / अभियुक्त की ओर से निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित किया है। पत्रावली पर ऐसी कोई प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि निगरानीकर्ता / अभियुक्त द्वारा परिवादिया किरन के साथ दहेज के लिए मारपीट की हो, ना ही कभी निगरानीकर्ता द्वारा परिवादिया को दहेज के लिए हैरान परेशान किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत व निराधार रूप से आरोप विरचित किया है। निगरानीकर्ता / अभियुक्त ने कभी परिवादिया के साथ लडाई झगडा नहीं किया वह स्वयं मरने मारने पर आमादा हो जाती थी तथा कभी घर का काम नहीं करती थी बल्कि अपने पीहर वालों को बुला कर निगरानीकर्ता / अभियुक्त के साथ मारपीट करवाती व निगरानीकर्ता को जलील किया जाता व उसके साथ अभद्रता की जाती थी, लेकिन निगरानीकर्ता अपनी गृहस्थ बचाने के लिए सहन करता रहा। विद्वान विचारण न्यायालय ने मात्र परिवादिया एवं गवाहान के बयानों के आधार पर चार्ज विरचित किए जाने का आदेश पारित किया है। ऐसे में निगरानीकर्ता के विरूद्ध कोई आरोप बनना ही नहीं पाया जाता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए निगरानीकर्ता /

अति. जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम–4, जयपुर जिला, जयपुर

अभियुक्त को आरोपित अपराध में उन्मोचित किया जाए।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय को विधि सम्मत होना बताते हुए निगरानी याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. सुना गया, विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी याचिका को निस्तारित करने हेतु निम्न अवधार्य बिन्दु सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित हैः—

आया विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक
15—11—2025 वैध, शुद्ध व औचित्यपूर्ण है?

7. उक्त अवधार्य बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बहस चार्ज सुनी जाकर, पत्रावली एवं समस्त दस्तावेजों एवं गवाहान के 161 दं0प्र0सं0 के बयानों का अवलोकन के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा—498ए भा0दं0सं0 के आरोप विरचित किए जाने के संबंध में विस्तृत आदेश पारित किया है एवं अभियुक्त को उक्त आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए है। उक्त आरोप विरचित करने से पूर्व निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस आरोप भी सुनी गई थी। निगरानीकर्ता की ओर से यह आपत्ति नहीं ली गई है कि उनको बहस सुनाने का मौका नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त निगरानी याचिका में जिन तथ्यों बाबत आपत्ति ली गई है, वह इस प्रक्रम पर तय नहीं किए जा सकते हैं। उक्त सभी तथ्य साक्ष्य पर निर्भर करते है। अभियुक्त की ओर से इस प्रक्रम पर जो उनका निर्दोष होने व झूंठा फंसाए जाने के अभिवाक् किये गये हैं, वे साक्ष्यपरख है, जिनका उभय पक्षों की ओर से सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरांत ही मामले के अंतिम प्रक्रम पर विधिनुसार निस्तारण किया जाना सम्भव है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त सांघी ब्रदर्स (इन्दौर) प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी व अन्य ए.आई. आर. 2009,एससी पेज 9 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चार्ज के प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त का प्रथमदृष्ट्या संबंध स्थापित होता है या नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी जांच की मजिस्ट्रेट को आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में न्यायालय के विनम्र मत में आरोप के प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट को इस संबंध में संतुष्ट होना है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है ? अभियुक्त की ओर से इस प्रक्रम पर जो उनका निर्दोष होने व झूंठा फंसाए जाने के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वे साक्ष्यपरख है, जिनका उभय पक्षों की ओर से सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरांत ही मामले के अंतिम प्रक्रम पर विधिनुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। यह विचारण

अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम—4, जयपुर मेट्रो, जयपुर

के समय निर्धारित किया जाता है, ना कि आरोप के प्रक्रम पर । विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि आरोप की रचना किये जाते समय अन्वेषण तंत्र द्वारा संकलित की गई सामग्री का एवं गवाहान के बयानात् का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है और यदि प्रथम दृष्टया किसी अपराध का बनना पाया जाता है तो विधिनुसार आरोप विरचित किया जाना चाहिए।

9. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498ए के अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचना का, जो आदेश पारित किया है, वह किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण, अवैध, क्षेत्राधिकार रहित एवं अशुद्ध होना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधि सम्मत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुकूल है, विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व परिस्थितियों के आधार पर बिल्कुल सही निष्कर्ष पारित किया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। जिसके कारण निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

आ दे श

10. निष्कर्षतः निगरानीकर्ता /अभियुक्त बालकिशन की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 15–11–2025 की पुष्टि की जाती है। आदेश सुनाया गया।

11. विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित की जाए।

श्रीमान जी,
D. No. 187 | 13.8.2026
शरा LC पत्रावली JM No. (1)
में भिजवाई गई
13/8/26

(नीतू भारद्वाज)
अपर सैशन न्यायाधीश,
क्रम–4, जयपुर जिला, जयपुर

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम-4, जयपुर जिला, जयपुर